कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः– स्टेनो / प्रशा. / 2024 / 44 दिनांक :– 26/09/2024

–:: कार्यालय आदेश ::–

मैं कविता राणावत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतदद्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक निर्देश के आधार पर राजपत्रित अवकाशों की निम्न तिथियों में, आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु, निम्न न्यायिक अधिकारीगण का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करती हूं।

क्र0 सं0	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं0
01	02.10.2024 03.10.2024	श्री अमरजीत सिंह	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, छबड़ा	मो0नं0–9461109997
02	06.10.2024 20.10.2024	श्रीमती साक्षी चौधरी	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबड़ौद	मो0नं0–8764391289
03	11.10.2024 12.10.2024 13.10.2024	सुश्री दिशा परिहार	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बारां	मो0नं0–9509162272
04	26.10.2024 27.10.2024	श्री सिद्धांत शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता	मो0नं0–7977458847
05	30.10.2024 31.10.2024	श्री लोकेन्द्र चौधरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगंज	मो0नं0–9413203697

1. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए, अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।

नोटः– उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

(कविता राणावत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां (राज0)

क्रमांक :– 1244 दिनांक :– 26-09-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई–मेल करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(कविता राणावत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)